राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन की मैगजीन में डॉ. सतीश पूनिया सहित देश के 75 विधायकों को मिला स्थान

मुंबई/जयपुर। मुंबई में आयोजित 'राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन' में राजस्थान विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया शामिल हो रहे हैं, जहां वह 17 जून तक मुंबई प्रवास पर हैं। 'राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन' में देशभर से हजारों विधायक शामिल हो रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन की मैगजीन में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राजस्थान विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष डॉ. सतीश पूनिया, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, छतीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे सहित देश के 75 विधायकों को स्थान मिला है। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन की इस मैगजीन में देशभर के हजारों विधायकों में से इन 75 विधायकों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए बेहतरीन कार्यों के लिए चयनित किया गया है। बता दें कि सतीश पूनिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र आमेर में शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सीएचसी, पीएचसी और स्कूलों को बुनियादी सुविधाओं के साथ विकसित कर विकास का आमेर मॉडल स्थापित किया है, जो पूरे प्रदेश और देश में पहचान बना रहा है। वहीं आमेर क्षेत्र में सड़कों के विकास को लेकर भी खूब कार्य हुये हैं। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन की पुस्तिका में आमेर के महत्वपूर्ण विकास कार्यों का उल्लेख किया है। स्कूलों में टॉयलेटस, आधुनिक डिजिटल क्लासरूम, साइंस लैब, कंप्यूटर आर्ट, क्राफ्ट लाइब्रेरी, शुद्ध पेयजल इत्यादि कार्य। आमेर के जालसू में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ सीएचसी, मोदी क्लिनिक, आमेर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कनेक्ट हेतु डॉ. सतीश पूनिया एप। विभिन्न स्कूलों में सुसज्जित कमरे, चारदीवारी, आधुनिक लैब, खेल मैदान और खेल सामग्री की सुविधा। विभिन्न ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और गौरव पथ योजना के माध्यम से सड़कों का विकास। वाटर रिचार्जिंग सिस्टम इत्यादि सहित विभिन्न विकास कार्य आमेर विधानसभा क्षेत्र में किये गये।

मुंबई में आयोजित 'राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन' में राजस्थान विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया शामिल हुए।

- **देशभर के हजारों विधायकों में से इन 75 विधायकों को शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए बेहतरीन कार्यों के लिए चयनित किया**

चौदह आई.पी.एस. के तबादले

जयपुर,(कासं)। राज्य सरकार ने एक बार फिर पुलिस महकमें में फेरबदल करते हुए 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।

14 आईपीएस के तबादलों में एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसपी, और नए जिलों के विशेषाधिकारी शामिल है। इस सूची में आईपीएस वीके सिंह का फिर तबादला चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में सरकार ने उनका तबादला एडीजी ट्रेफिक से हटाकर एडीजी साइबर क्राइम के पद पर किया था, लेकिन आज फिर तबादला सूची जारी कर उन्हें एडीजी टेलिकम्युनिकेशन एवं टेक्निकल में लगा गया है। इसके अलावा आईपीएस मालिनी अग्रवाल को एडीजी पुलिस प्रशिक्षण जयपुर और सचिन मित्तल को एडीजी भर्ती एवं पदोन्नित बोर्ड और साइबर क्राइम के पद पर लगाया है। गौरव श्रीवास्तव को आईजी कानून व्यवस्था पुलिस मुख्यालय जयपुर, राजेंद्र सिंह को आईजी आरएसी, समीर कुमार सिंह को प्राचार्य राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र किशनगढ़ अजमेर, वंदिता राणा को पुलिस अधीक्षक दौसा, संजीव नैन को डीसीपी पश्चिम जयपुर के पद पर लगाया गया है। इसके अलावा राजेंद्र कुमार को विशेषाधिकारी अनूपगढ़, पूजा अवाना को दूदू और देवेंद्र कुमार विश्नोई को गंगापुर सिटी का विशेषाधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं आईजी एच.जी. राघवेन्द्र सुहासा को विशेषाधिकारी पाली संभाग, एस परिमला को बांसवाड़ा और सत्येन्द्र सिंह को विशेषाधिकारी सीकर संभाग लगाया गया है।

- **हाल ही में एडीजी साइबर क्राइम के पद पर लगाए गए आईपीएस वीके सिंह का फिर तबादला कर उन्हें टेलिकम्युनिकेशन में लगाया गया है।**

छह आई.ए.एस. को बदला

जयपुर। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर छह आईएएस का तबादला किया है। तीन को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। आदेशानुसार डॉ.आरूषि अजेय मलिक को बाल अधिकारिता विभाग में शासन सचिव एवं आयुक्त, एच.गुईटे को नि:शक्तजन विभाग में आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, श्रुति भारद्वाज को समग्र शिक्षा अभियान में राज्य परियोजना निदेशक और राजस्थान शिक्षा परिषद एवं आयुक्त स्कूल शिक्षा, अवधेश मीणा को गृह विभाग में संयुक्त शासन सचिव, उत्साह चौधरी को वाणिज्यिक कर विभाग में अतिरिक्त आयुक्त, डॉ.मोहन लाल यादव को सीकर संभाग में विशेषाधिकारी के पद पर लगाया है। वहीं भानू प्रकाश एटूरू अपने पद के साथ गृह विभाग में शासन सचिव के पद का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। इसके अतिरिक्त कैलाश चन्द मीणा को पाली संभाग और राजेन्द्र भट्ट को बांसवाड़ा संभाग का विशेषाधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है।

पीएचईडी के रिटायर इंजीनियर के निलंबन आदेश पर रोक

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने पीएचईडी के पांच साल पहले 31 जुलाई 2018 को रिटायर हो चुके असिस्टेंट इंजीनियर को राहत देते हुए उनको सेवाकाल के दौरान निलंबित करने वाले 2 जून 2018 के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार व पीएचईडी विभाग से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश याचिकाकर्ता विजय पारीक की याचिका पर दिए।

याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ता पीएचईडी विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। पीएचईडी विभाग ने गलत पेमेंट करने के आरोप में याचिकाकर्ता को उसके रिटायरमेंट से केवल एक महीने पहले ही निलंबित कर दिया। जबकि इससे पूर्व कार्मिक विभाग से अनुमोदन भी नहीं लिया गया। वहीं मामले की चार्जशीट भी उसके रिटायरमेंट के बाद 27 दिसंबर 2018 को दी गई। इसके चलते विभाग ने याचिकाकर्ता के सभी सेवानिवृत्त परिलाभ भी रोक लिए। विभाग की इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि पीएचईडी विभाग उसे निलंबित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है और ऐसा करने से पहले उसे कार्मिक विभाग से मंजूरी लेने की जरूरत थी। वहीं मामले की चार्जशीट भी समय पर नहीं दी गई। निलंबन के कारण उसे सेवानिवृत्ति परिलाभ भी नहीं मिले हैं। इसलिए निलंबन आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

- **अदालत ने राज्य सरकार व पीएचईडी विभाग से जवाब मांगा**

'राजनीति में दल बदल चिंता का विषय'

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजनीति सेवा का माध्यम है। राजनीति में आने के बाद जनप्रतिनिधि का धर्म पूरी ईमानदारी, निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ जनता की सेवा करना होना चाहिए। गहलोत शनिवार को अपने निवास से मुंबई में 15 से 17 जून तक आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे।

गहलोत ने कहा कि वर्तमान समय में होर्स ट्रेडिंग के माध्यम से चुनी हुई सरकारें गिराने की गलत परम्परा बन चुकी है। यह पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का यह कर्तव्य है कि वे किसी भी कीमत पर दल बदल न करें और अपनी पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण बनाये रखें। गहलोत ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी हमारे देश में लोकतंत्र कायम है। पूरी दुनिया में भारत की इसी लोकतांत्रिक मजबूती के कारण अलग पहचान और सम्मान है।

प्रदेश में विपरजॉय तूफान की एंट्री हो चुकी है। इस कारण जयपुर में काले बादलों के आने का सिलसिला जारी रहा। सीकर रोड मुरलीपुरा से लिया गया काले बादलों का दृश्य। अंधेरा से छाने पर कई बार ऐसा लगा जैसे भारी बारिश होने वाली है लेकिन बूंदा-बांदी हो कर रह गई। फ़ोटो : दिनेश भारद्वाज

लघु व मझोले वर्ग के अखबारों के हित में विज्ञापन नीति-2020 में संशोधन की मांग

जयपुर, (का.सं.)। एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एण्ड मीडियम न्यूजपेपर्स ऑफ इण्डिया की राष्ट्रीय परिषद की बैठक 16 जून को वारणा नगर स्थित शेतकारी भवन के तात्या साहेब कोरे सभागार में महाराष्ट्र इकाई के तत्वावधान में एशोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव दत्त चंदोला की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक का शुभारंभ ज्ञान दायिनी देवी सरस्वती, छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठी पत्रकारिता के जनक आचार्य बाल शास्त्री जाम्भेकर को नमन कर दीप प्रज्वलन के साथ किया गया।

बैठक में चंदोला ने कहा, "लघु एवं मझोले वर्ग के अखबारों का उत्पीड़न करना अति निंदनीय है और अगर उत्पीड़न बंद नहीं किया गया तो एसोसिएशन की सभी राज्यों की इकाइयां विरोध पर उतरने को बाध्य होंगी। चंदोला ने डी. ए.वी.पी. को आगाह किया है कि वो छोटे और मझोले वर्ग के अखबारों की समस्याओं को नजरअंदाज न करे और विज्ञापन की हिस्सेदारी पर अतिक्रमण करना बंद करे।"

एसोसिएशन के उत्तर प्रदेश राज्य इकाई के अध्यक्ष, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्याम सिंह पंवार ने कहा कि अखबारों के प्रकाशकों की समस्याओं का निराकरण करने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है और अपने स्तर से अखबार मालिकों की ही नहीं अपितु पत्रकारों के उत्पीड़न सम्बन्धी हर मामले को प्रेस काउंसिल में उठा रहे हैं और निराकरण करवा रहे हैं।

कर्नाटक से पधारे माला बोदी ने कहा कि इस समय पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि पेनाल्टी से बचने के लिए वार्षिक रिटर्न भरने के प्रति जागरूकता लाने की आवश्यकता है। साथ ही आर एन आई द्वारा लगाई जा रही पेनाल्टी को रोकने का मुद्दा उठाया।

राजस्थान से पधारे राष्ट्रीय सचिव डॉ.अनन्त शर्मा ने कहा कि हेल्पलाइन बनाकर प्रकाशकों की समस्याओं का निराकरण करवाने का प्रयास किया जायेगा।

इस दौरान महाराष्ट्र इकाई द्वारा एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित एसोसिएशन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्यों को सम्मानित किया गया।

बैठक में एसोसिएशन की कोषाध्यक्ष भगवती चंदोला, महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष प्रदीप देवीदास कुलकर्णी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अप्पा साहेब पाटिल, एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव प्रवीण पाटिल, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चंद्रशेखर गायकवाड़, अरुण राजाराम वडेकर, गोरख तावड़े, मुकुंद जोशी, नेता मेश्राम, मारुति, गावड़ी सम्राट संगर, सुमित कुलकर्णी, दत्तदेश पांडेय, अरुण वडेकर, मारुति नावलाई, तेजश्वनी सूर्यवंशी, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष श्याम सिंह पंवार, उत्तराखंड अध्यक्ष अतुल दीक्षित, गुजरात राज्य के अध्यक्ष मयूर बोरीचा, गुलाब सिंह भाटी, रमन बरोट, राजस्थान से धर्मेंद्र सोनी, गोपाल गुप्ता, मध्यप्रदेश से अकरम खान, कर्नाटक से वेणु गोपाल के. नायक, तारिक वेलकर, आंध्र प्रदेश से के. वेंकट रेड्डी, सेंडीरेड्डी कोंडलाराव, एम. कमल कुमार उड़ीसा से पधारे चन्द्र कांता सूतर, बिनोद महापात्र सहित अनेक अखबारों के प्रकाशक मौजूद रहे।

- **एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एण्ड मीडियम न्यूजपेपर्स ऑफ इण्डिया की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अखबारों की समस्याओं पर हुई चर्चा।**
- **केंद्र सरकार से प्रकाशकों ने अखबारी कागज से जी.एस.टी. हटाने की मांग की।**

चौगान स्टेडियम का जीर्णोद्धार होगा

जयपुर, (का.सं.)। राज्य सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं खेलों के विकास के लिए निरन्तर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर स्थित चौगान स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए 5.50 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

प्रदेश में पांच नए संक्रमित मिले

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में शनिवार को पांच नए करोना संक्रमित मिले हैं। वहीं इस दौरान चार मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में फिलहाल 14 एक्टिव केस बचे है।

प्रदेश में शनिवार को जयपुर में पांच नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले शुक्रवार को राज्य में कोई भी नया मरीज नहीं पाया गया था। इधर, राज्य में आज 1847 कोविड जांच की गई है।

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में चार मरीज रिकवर हुए हैं। राज्य अभी 14 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। इनमें जयपुर में 6, उदयपुर में 5, भरतपुर में 2 और बीकानेर में 1 एक्टिव केस बचा है। प्रदेश में शनिवार को करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि अब तक राज्य में इस बीमारी से 9735 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

- **राज्य में फिलहाल 14 एक्टिव केस बचे हैं**

35 साल पहले बर्खास्त श्रमिकों की बहाली की बजाय मुआवजा देने का आदेश सही : हाईकोर्ट

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने लेबर कोर्ट, भरतपुर के 15 नवंबर 2019 के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें 35 साल पहले बर्खास्त किए श्रमिकों को बहाल करने की बजाय उन्हें मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया था। हालांकि अदालत ने लेबर कोर्ट की ओर से तय किए 50 हजार रुपए हर्जाने को अपर्याप्त मानते हुए इसे बढाकर एक लाख रुपए कर दिया है। अदालत ने कहा कि तीन माह में बढ़ी हुई हर्जाना राशि अदा की जाए। ऐसा नहीं करने पर अदालत ने हर्जाना राशि पर नौ फीसदी ब्याज भी अदा करने को कहा है। जस्टिस अनूप ढंड ने यह आदेश हीरालाल व जीवन सहित अन्य श्रमिकों की याचिकाओं पर दिए।

याचिकाओं में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 1986 से वर्ष 1988 तक करौली जिले के श्री महावीर जी उपखंड के सिंचाई विभाग में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के तौर पर काम किया था। वहीं बाद में आईडी एक्ट की पालना में उनकी सेवाओं को खत्म कर दिया। इस दौरान न तो उन्हें नोटिस दिया गया और ना ही सुनवाई का मौका मिला। जबकि विभाग को नियमों की पालना करनी चाहिए थी। इस आदेश को याचिकाकर्ता श्रमिकों ने लेबर कोर्ट, भरतपुर में चुनौती देते हुए उन्हें बहाल करने का आग्रह किया। लेबर कोर्ट ने 15 नवंबर 2019 को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अवार्ड जारी कर माना कि श्रमिकों ने एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन काम किया है। ऐसे में उनकी सेवा खत्म करना अवैध है, लेकिन श्रमिकों को वर्ष 1988 में बर्खास्त किया था और इसे बहुत ज्यादा समय हो गया है। इसलिए उन्हें बहाल करने का आदेश देने की बजाय बहाली के बदले 50 हजार रुपए हर्जाना दिलवाना सही होगा। लेबर कोर्ट के इस अवार्ड को याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने लेबर कोर्ट के आदेश को सही मानते हुए मुआवजा राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है।

सीनियर मुंसरिम की पदोन्नति में स्टेनोग्राफर कैडर को शामिल करने पर मांगा जवाब

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के जिला एवं सत्र न्यायालयों में सीनियर मुंसरिम पद पर सामान्य कैडर के साथ-साथ स्टेनोग्राफर कैडर के कर्मचारियों को भी पदोन्नति देने के प्रावधान पर कार्मिक सचिव और विधि सचिव सहित रजिस्ट्रार जनरल से जवाब मांगा है। अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि क्यों ना इस प्रावधान को रद्द कर सिर्फ सामान्य कैडर के कर्मचारियों को ही सीनियर मुंसरिम के पद पर पदोन्नत के योग्य माना जाए। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव व अनिल उपमन की खंडपीठ ने यह आदेश मनोज कुमार व अन्य की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी नियमों में सीनियर मुंसरिम के पद पर पदोन्नति में सामान्य कैडर के कर्मचारियों के साथ-साथ स्टेनोग्राफर कैडर के कर्मचारियों को भी योग्य माना है। ऐसे में जिला न्यायालयों में स्टेनोग्राफर को भी सीनियर मुंसरिम के पद पर पदोन्नति दी जा रही है। जबकि यह प्रावधान ही संवैधानिक तौर पर गलत है, क्योंकि इसमें यह तय नहीं है कि कितने अनुपात में सामान्य कैडर के रीडर व स्टेनोग्राफर कैडर से सीनियर मुंसरिम के पद पर पदोन्नति दी जाएगी। ऐसे में अधिकतर पदोन्नित स्टेनोग्राफर कैडर से होने की संभावना है। वहीं यह प्रावधान सामान्य कैडर के कर्मचारियों को उनके पदोन्नित अधिकारों से वंचित करता है। याचिका में कहा गया कि स्टेनोग्राफर और सीनियर मुंसरिम के पद की प्रकृति भी मेल नहीं खाती है। इसलिए सीनियर मुंसरिम का पद सामान्य कैडर के कर्मचारियों से भरा जाना चाहिए और स्टेनोग्राफर कैडर वालों को सीनियर पीए के पद पर पदोन्नति दी जानी चाहिए।

भारतीय महिलाएं मॉर्डेनिटी और ट्रेडिशन का एक आदर्श मिश्रण हैं : रोली अग्रवाल

जयपुर। घर हो या फिर चाहे सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य, महिलाएं हमेशा लीडर्स और चेंजमेकर्स रही हैं। हालांकि महिलाओं को शिक्षा के अवसरों की कमी, असमान अवसरों और सीमित वित्तीय पहुंच जैसी चुनौतियों का सामना करना पडता है, लेकिन इसके बावजूद महिलाएं धीरे-धीरे उभर रही हैं। डिजिटलाइजेशन ने कई महिलाओं के जीवन में बदलाव लाया है। वास्तव में भारतीय महिलाएं मॉर्डेनिटी और ट्रेडिशन का एक आदर्श मिश्रण हैं। कार्यस्थल पर अग्रणी होने के साथ-साथ वे संस्कृति की संरक्षक भी हैं। यह बात भारत सरकार, प्रिंसिपल कमिश्नर, आयकर, रोली अग्रवाल ने आज आईटीसी राजपूताना में सीआईआई-आईडब्ल्यूएन राजस्थान एनुअल सेशन और राजस्थान वुमन लीडरशिप समिट 2023 में विशेष संबोधन के दौरान कही। यह कार्यक्रम कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) - इंडियन वुमन नेटवर्क (आईडब्ल्यूएन) राजस्थान चैप्टर द्वारा आयोजित किया गया था।

आईएफएस, निदेशक, राजस्थान वानिकी और वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान एवं मुख्य संरक्षक वन, प्रशिक्षण शैलजा देवल ने कहा कि लैंगिक असमानता और भेदभाव सभी उस मानसिकता में है, जो शुरू से ही बच्चों में भीतर भर दी जाती है। अपने स्वयं के जीवन के अनुभवों से उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जिम्मेदारियां लेने के लिए महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक सुसज्जित और कुशल हैं। उन्हें किसी से डरना नहीं चाहिए और अपनी आवाज उठानी चाहिए। समिट के उदेश्य पर प्रकाश डालते हुए, सीआईआई राजस्थान स्टेट काउंसिल के चेयरमैन, अभिनव बांठिया ने कहा कि इस समिट का उद्देश्य वुमन लीडर्स की शक्ति और क्षमता को प्रोत्साहित करना था, जिससे कि वे अपने स्वयं के संगठनों के भीतर परिवर्तन एजेंट के रूप में कार्य कर सकें और भविष्य के लिए बिजनेस को आकार देने में सक्षम हो सकें।

आईटीसी राजपूताना में सीआईआई-आईडब्ल्यूएन राजस्थान एनुअल सेशन और राजस्थान वुमन लीडरशिप समिट 2023 में भारत सरकार की प्रिंसिपल आयकर कमिश्नर रोली अग्रवाल ने शनिवार को विशेष संबोधन दिया।

दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले को उम्रकैद

जयपुर, (का.सं.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने नौ साल की बच्ची का अपहरण करने के बाद उससे दुष्कर्म कर हत्या करने वाले अभियुक्त सूरज जाटव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 24 वर्षीय इस अभियुक्त पर एक लाख 58 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

NAME CHANGE

I Pappoo Ram S/o Bheenya Ram R/o Basi, Chitana, Bikaner, Rajasthan-334803, have changed my name to Pushpendra Bhati

खोया पाया

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड का मकान नंबर 262/274 सैक्टर 26, प्रताप नगर सांगानेर का ओरिजनल वसीयत नामा जो कि भंवर लाल मीना ने राजेश शर्मा को दिया था कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें। किरन जाट-9950345298

REGIONAL OFFICE (JAIPUR-SOUTH)
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
8/263, MALVIYA NAGAR, NEAR JAWAHAR CIRCLE, HOUSING BOARD OFFICE, JAIPUR
Website - www.environment.rajasthan.gov.in | Email Id - ro.jaipursouth@gmail.com Phone-0141-4068311

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना क्रमांक एस. ओ. 1533 दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसार Public Hearing for grant of Environmental Clearance to M/s. Mangala Product Private Limited for proposed MS Billets/Ingots @ 2,37,600 TPA and TMT Bar/Structural Items / Pipes @ 2,97,000 TPA manufacturing unit at Plot No. SP-187 to 189 (A) and SP-187-189 (B), RIICO Industrial Area, Bagru Extn. Phase-II, Bagru, Teh. Sanganer, District- Jaipur, Rajasthan के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किये गये है।

उपरोक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09. 2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। अतः समस्त सम्बंधित को इस नोटिस के माध्यम से एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित लोक सुनवाई हेतु दिनांक 21 जुलाई, 2023 को प्रातः 11:00 बजे M/s Mangala Product Private Limited, Address:- Plot No. SP-187 to 189 (A) and SP-187-189 (B), RIICO Industrial Area, Bagru Extn. Phase-II, Bagru, Teh. Sanganer, District-Jaipur, में उपस्थित होकर आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है।

इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आक्षेप इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 30 दिवस की अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालय, 8/263, जवाहर सर्किल के पास, मालवीय नगर, जयपुर (ईमेल:- ro.jaipursouth@gmail.com) अथवा मुख्यालय, रा.प्र.नि.मं., 04 - संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोर्ट (ई.आई.ए. रिपोर्ट) एवं कार्यकारी सांराश रिपोर्ट (हिन्दी एवं अंग्रेजी) निम्नांकित कार्यालयों में उपलब्ध है-

(1) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर (दक्षिण), 8 / 263, मालवीय नगर, जयपुर। (2) मुख्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 04 - संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। (3) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। (4) क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, अरण्य भवन, जयपुर (5) अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर (उत्तर) जयपुर। (6) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार, सांगानेर, जयपुर। (7) जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर (ग्रामीण), उद्योग भवन तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर। (8) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन लिमिटेड (रीको), जयपुर (ग्रामीण), 22 गोदाम, जयपुर। (9) जिला परिषद, सवाई जय सिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर।

प्रस्तावित लोक सुनवाई वैश्विक महामारी (कोविड - 19) से संबंधित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी पूर्वाधान / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

-sd-
(अरविन्द कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।